न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 8 / 2019(2019 / 00216)

1. श्रीमति रसाल पत्नी श्री रामदेव जाति जाट निवासी कणोंज तहसील केकडी जिला अजमेर।

—प्रार्थीया

बनाम

1. हरिदत्त पुत्र श्री भूरालाल जाति ब्राम्हण निवासी कणोंज तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी जिला अजमेर।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित:—

श्री हनुमान प्रसाद शर्मा — वकील प्रार्थीया
पैरोकार सरकार जरियें तहसीलदार केकडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान टेनेन्सी एक्ट

—:निर्णय:—

दिनांक 20.9.2022

पत्रावली आज न्यायालय मे पेश हुई वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी उपस्थित हुये। प्रकरण में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया संक्षेप मे विवरण निम्न प्रकार है:—

प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नंबर 1501 रकबा 0.16हैक्टर किस्म बारानी वाके ग्राम कणोज तहसील केकडी में स्थित है उक्त आराजी को प्रार्थीया ने दिनाक 20.12.2018 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र पूर्व खातेदार श्री भगवानदास पुत्र श्री भूरा लाल जाति ब्राम्हण से खरीदकर कब्जा दखल प्राप्त किया है एवं बहैसियत खातेदार काश्तकारी काबिज काश्त है अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त कदीमी रास्ता जो खसरा नंबर 1502 की पूर्वी मेड पर होकर है अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1502 रकबा 0.18हैक्टर किस्म बारानी 1 में स्थित है जो करीब 20 फुट चौडा है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 5.4.2019 से ही उक्त कदीमी रास्ते को हाककर एवं इसके बाद फसल काश्त कर अवरूद्व करने की धमकियां दे रहे है प्रार्थीया ने दिनांक 5.4. 2019 को अप्रार्थी संख्या 1 से रास्ता अवरूद्व नही करने सकरा नही करने एवं बैलगाडी ट्रेक्टर पशुओ आदि के आने जाने में बाधा उत्पन्न नही करे। अतः प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी में आने जाने का बैलगाडी टेक्टर टोली कृषि उपज लाने ले जाने हेतु कदीमी रास्ता 20 फुट चौडा आम रास्ते से होकर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1502 रकबा 0.18 हैक्टर किस्म बारनी 1 में भूमि में स्थित है अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवरूद्व कर दिये जाने की स्थिति में खुलासा करवाया जाकर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में भी रास्ते का इन्द्राज किया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा जवाब पेश नही किये जाने से जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 जर्ये पैरोकार सरकार द्वारा जवाब / मौका रिपोर्ट उनके पत्र कमांक / राजस्व / 2022 / 1305 दिनांक 11.7.2022 के तहत निम्नानुसार पेश किया:—

1. प्रार्थीया रसाल पत्नि रामदेव जाट निवासी ग्राम कणोंज की खातेदारी भूमि खसरा नबर 1501 पर आने जाने हेतु खसरा नंबर 1502 व 1503 की मध्य मेड से रास्ते की माग की गयी। मौके पर प्रार्थी कणोंज से छाबडिया रोड से बने रास्ते से खसरा नंबर 1502 व 1503 की मध्य मेड से आ जा रही है।
2. यह है कि प्रार्थी के खेत में आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।
3. यह है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

4. यह है कि प्रार्थी के अपने खातेदारी खसरा नंबर 1501 में आने जाने के लिए सबसे निकटतम दूरी का रास्ता 1502 व 1503 की मध्य मेड से ही है।
5. यह है कि खातेदारी भूमि 1501 पर आने जाने हेतु खसरा नंबर 1502, 1503 की मेड से प्रस्तावित रास्ते की जानकारी मौका रिपोर्ट के पृष्ठ पर अंकित है।
6. यह है प्रस्तावित रास्ते के अन्तर्गत आने वाली भूमि में डी.एल.सी रेट की दो गुना गर से प्रतिदर राशि 0.0264x236295x2=12477 राशि बनती है।
7. यह है कि प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा रिपोर्ट में पृष्ठ पर अंकित है।

वरवक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी अधिवक्ता व पेरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकारी करने हेतु निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्तो द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मौका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 1501 पर आने जाने हेतु खसरा नंबर 1502 व 1503 की मध्य मेड से सबसे निकटतम दूरी का रास्ता है उक्त रास्ते में उपयोग आयी भूमि की वर्तमान डी.एल.सी दर से दुगुनी करने पर बनी राशि 12477रूपये है जो मौका रिपोर्ट में नजरी नक्शा अनुसार दर्शाया जाकर रास्ता प्रस्तावित किया गया लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नही है प्रार्थी उक्त मौका रिपोर्ट में लाल स्याही से दर्शित रास्ते में उपयोग में आयी भूमि की वर्तमान डी.एल.सी दर से बनी राशि की दुगुनी राशि अप्रार्थी जमा कराने पर ही रास्ता दिया जाना उचित है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट मौका रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 1501 में आवागमन हेतु खसरा नंबर 1502 व 1503 की मध्य मेड से रास्ता रास्ता दिया जाता है जिसकी मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता व रास्ते में उपयोग आयी भूमि की वर्तमान डी.एल.सी दर से बनी राशि का दुगुना करने पर बनी राशि 12477रूपय(बारह हजार चार सौ सत्तर रूपये) जमा कराने पर रास्ता दिया जाता है अतः उक्त राशि जमा कराने पर मौका रिपोर्ट में लाल स्याही से प्रस्तावित अनुसार सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार केकडी उक्त राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थीगण को जर्ये सूचना पत्र जारी कर दिलवायी जावे। अप्रार्थीगण द्वारा राशि नही लिये जाने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर ग्राम कणोंज के खसरा संख्या 1501 में आवागमन हेतु रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एवं नक्शाट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ता सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner